न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 54 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 96

अपीलान्ट

1. सीता देवी पत्नी श्री स्व. गीगाराम पुत्री स्व. मंगा उर्फ मंगाराम जाति मारली निवासी कुड़ली तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।
2. चंपा देवी पत्नी श्री सुगन सिंह पुत्री स्व. मंगा उर्फ मंगाराम जाति मारली निवासी कुड़ली तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मुन्नी पुत्री स्व. मंगा उर्फ मंगाराम पत्नी माणकचन्द माली जाति माली निवासी आड़काबास, डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।
2. संतोष पुत्री स्व. मंगा उर्फ मंगाराम पत्नी रमेश जाति माली निवासी आड़काबास, डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।
3. किशनलाल दत्तक पुत्र धन्नी देवी पत्नी स्व. मंगा उर्फ मंगाराम जाति माली निवासी आड़काबास, डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।
4. तहसीलदार डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।

म्यूटेशन अपील विरूद्ध तहसीलदार डीडवाना द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.1975 द्वारा म्यूटेशन संख्या 368 अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव वकील अपीलान्ट की ओर से
2. श्री अजीत सिंह वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से

–ःआदेशः–

दिनांकः 11.06.2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार हैः–

1. उपराक्त दोनों नामान्तकरण आरम्भ से ही शून्य होने से तथा Appeal by daughtes Limitation will computed from [illegible] knowledge not from date of order खातेदार स्व. [illegible] बाद उसकी खातेदारी की कृर्षि भूमि के भी वारिसान के नाम खातेदारी में अ[illegible]रामद होना चाहिये था, जो जानबुझ कर अप्राथी संख्या 04 ने प्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 को उनके वैध हक अधिकार से वंचित करने की नियत से [illegible] अंकन किया, मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थीगण बाध्य नहीं है। क्योंकि तहसीलदार, डीडवाना ने नामान्तकरण की कार्यवाही की, वह एक न्यायालय की हैसियत से की है तथा उस निर्णय की अपील प्रावधान धारा 75 एल आर एक्ट द्वारा दिया गया है।

2. अपीलार्थीया सीता देवी के पति गीगाराम को काफी वर्षो पूर्व लकवाग्रस्त हो गये तथा वो अपाहित हो गये, जिसके कारण प्रार्थीया अपने पति के सेवा में व्यस्त रही तथा उनके पति की दौराने लकवाग्रस्त रहते उनकी मृत्यु हो गयी है, जिसके कारण अपीलार्थी अपने पति की मृत्यु के गम व शौक संतप्त रही तथा अपीलार्थीया चम्पा स्वयं काफी वर्षों से बिमार रहती है तथा उनका ईलाज जयपुर में चल रहा है। जिस कारण से अपील पेश करने में देरी हुई है तथा अपीलान्ट को जब लोन लेने हेतु दस्तावेज खतौनी व नामान्तरकरण की प्रतियाँ प्राप्त करने पर पता चला / जानकारी हुई कि उसका तो नाम ही खेतों में नहीं है तथा अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण की नकल प्रति दिनांक 19.12. 2022 को ली, तब उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी हुई। तब यह अपील प्रस्तुत की जा रही है तथा Ultra Virus कार्य के लिए Limitation Act 1963 के नियम आड़े नहीं आते हैं, जिससे यह अपील स्पष्ट रूप से अन्दर मयाद है। इस कारण प्रार्थी की अपील को अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्याय संगत है। फिर भी यह धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकार से नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई उसे क्षमा किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्राथीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद स्वीकार करनें की कृपा करें। अप्रार्थी संख्या 03 ने इकबाले जवाब पेश किया।

अप्रार्थी मुन्नी देवी व सन्तोष देवी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि :–

1. प्रार्थीगण ने उक्त अपील जाहिरा तौर से मयाद बाहर किशनलाल के द्वारा बरगलाने के कारण पेश की है, जबकि प्रार्थीगण की माता धन्नी देवी के नाम जो राजस्व भूमियाँ थी, जो उसके पिता मघाराम के स्वर्गवास सन् 1973 में होने के पश्चात् उसके नाम दर्ज हो गयी। माता धन्नी देवी ने मेहनत मजदूरी कर एवम् भूमि विक्रय कर अपनी चारों पुत्रीयों का विवाह किया तथा खिंवरा जो कि बोनी जन्म से थी का भी लालन–पालन किया था। जिसकी जानकारी धन्नी देवी की चारों पुत्रीयों को प्रारम्भ से थी। वादित भूमि बाबत तथा कथित गोद पुत्र किशनलाल द्वारा एक सिविल वाद बअनुवान किशनलाल बनाम हनुमान सिंह वगैराह मु0 नं0 41 / 17 (02 / 15) ए.सी.जे.एम. कोर्ट, डीडवाना में प्रस्तुत [illegible] दौराने वाद धन्नी देवी के स्वर्गवास हो जाने पर ए.सी.जे.एम. कोर्ट [illegible] धन्नी देवी के वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को कायम मुकाम [illegible] के कारण समन बाबत् कायम मुकाम दिनांक [illegible].11.2018 को जारी किया, जिसकी तारीख पेशी 03.12.2013 को नियत थी। उस दिवस [illegible] तक 03.12.2018 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कमल जी मोठ ने अण्डर टेकिंग दी, तत्पश्चात् दिनांक 04.02.2019 को प्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया, जिससे जानकारी थी। समन नोटिस एवम् ऑर्डर शीट दिनांक 03.12.2018, 04.02.2018 की नकल जवाब के साथी प्रस्तुत है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद की जानकारी प्राथीगण को सदैव से रही है। जिससे उक्त प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है।

2. प्रार्थना–पत्र का पद संख्या 02 का जवाब यह है कि प्रार्थीगण की माता धन्नी देवी के स्वर्गवास दिनांक 17.12.2017 को हुआ, उस वक्त सभी पुत्रीयाँ बारह दिनों पर धन्नी देवी के घर पर ही रही तथा माता धन्नी देवी को उसकी पुत्री चम्पा देवी व उसका पति सुगन सिंह व अन्य परिवार के सदस्य हरिद्वार डालकर आये थे। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद की जानकारी प्रार्थी पक्ष को सदैव से रही है। धन्नी देवी ने अपने जीवन में संघर्ष कर अपने पांच पुत्रीयाँ व एक पुत्र का लालन–पालन, भरण–पोषण पति के स्वर्गवास के बाद बड़ी कठिन परिस्थिति में किया एवम् अपनी खातेदारी की भूमि का विक्रय कर उसकी आय से अपनी पुत्रीयों का विवाह आदि किया। केवल मात्र तथाकथित गोद पुत्र किशनलाल ने प्रार्थी पक्ष का बरगलाकर खातेदारान को तंग व परेशान करने के लिए झुठे वाद प्रस्तुत किये है, जबकि सिविल न्यायालय द्वारा पंजीकृत बैचाणनामा को सही होना स्वीकार किया। निर्णय दिनांक 07.11.2019 ए.सी.जे.एम. न्यायालय द्वारा किया गया, जिसकी नकल जवाब के साथ प्रस्तुत है। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने केवल मात्र अप्रार्थीगण को खर्चे से जैर–बार करने के लिये अति मियाद बाहर म्यूटेशन को बिना किसी ठोस आधार व कारण के उक्त आवेदन परिसीमा में लेने के लिये किया है, जो जाहिरा तौर से मियाद बाहर होने से काबिले निरस्त है।

:–विशेष कथन–:

1. अपीलार्थी पक्ष ने अपनी अपील के पद पृष्ठ संख्या 03 में वादग्रस्त जायगा का म्यूटेशन मंगाराम की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मुन्नी देवी द्वारा अपने नाम करना बताया है, जबकि मुन्नी देवी के नाम नामान्तकरण कभी भरा ही नही गया, जो तथ्य अपीलार्थी ने गलत दर्ज करवाये है। जो अपीलार्थी स्वयं साबित करें। जिससे भी उक्त अपील खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन मय खर्चा खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस का मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 368 दिनांक 14.06.1975 [illegible] तहसीलदार डीडवाना द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा 18.01.2023 [illegible] उक्त अपील प्रस्तुत की गई अर्थात अपील प्रस्तुत करने में ल[illegible] वर्ष के विल[illegible] उक्त अपील को प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत 48 वर्ष विलम्ब के लिए प्रमुख कारण यह बताया गया कि अपीलार्थी सीता [illegible] के पति लकवाग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

होने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं कर पाई साथ ही यह भी बताया कि उसके द्वारा 19.12.2022 को लोन के लिए प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी तब उसे इसका पता दिनांक 15.05.2022 को लगा। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से यह भी तथ्य सिद्ध हो रहे है कि अपीलांट चम्पा देवी व सीता देवी दिवानी मूल प्रकरण सं0 41/2017 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधिश डीडवाना में विचाराधीन वाद में पक्षकार थी। यह सिविल वाद भी आराजी सं0 2257, 2258, 1825 एवं 1831 के संबंध में है। जिसमें अपीलांट प्रतिवादीगण है तथा इसमें उनके द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया। इससे अपीलांट का यह कथन सन्देहास्पष्द हो जाता है कि उनको दिनांक 22.05.2022 को जानकारी हुई। अपीलांट को इसकी जानकारी पूर्व से ही थी। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया उसके अन्दर मात्र 52 दिन का विलम्ब है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में 48 वर्ष का विलम्ब है। धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत विलम्ब को कन्डोन (Condone) किये जाने के प्रावधान है परन्तु प्रत्येक दिन के विलम्ब को न्यायोचित कारणों से सिद्व किया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई पुख्ता कारण प्रस्तुत नहीं किया कि अपीलांट का पति 48 वर्ष तक लकवाग्रस्त था तथा लकवाग्रस्त होने के कारण किसी प्रकार का सामान्य कार्य भी नहीं किया, न ही अपीलांट यह सिद्व कर पाई कि वह किसी ऐसी असाध्य बिमारी से ग्रसित रहीं जिससे वह सामान्य क्रिया कलाप भी नही कर सकी। सिविल न्यायालय में वर्ष 2017 में वाद दायर किया जाना तथा उसे कन्टेस्ट किया जाना यह सिद्व करता है कि वर्ष 2017 में उसकी जानकारी अपीलांट को हो चुकी थी। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक की अवधि में विलम्ब का भी कोई सन्तोषजनक कारण नहीं अवगत कराया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा अपील में 48 वर्ष के विलम्ब को माफ (Condone) नहीं किया जा सकता। लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 11.06.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:40 IST
Reason: SelfAttested